छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2006

(कार्तिक 29, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई।

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2006 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य व शासकीय विधेयकों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

वित्तीय कार्य	**निर्धारित समय**
वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	3 घंटे
विधि विषयक कार्य	
भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006	15 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 21 नवम्बर, 2006 से सभा की बैठकें पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक तथा अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रखी जायें।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ, शहनाई वादक के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय चंद्राकर ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.48 बजे मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 30, 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2006

(कार्तिक 30, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 03, 04, 06, 09, 10 एवं 12 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 02, 05, 07, 08, 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री राजकमल सिंघानिया, महंत रामसुंदर दास, देवव्रत सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया, सियाराम कौशिक एवं मोतीलाल देवांगन अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में 18 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से प्रदेश में बिजली कटौती तथा विद्युत दरों में की गई वृद्धि के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना ग्राह्य कर चर्चा कराने का अनुरोध किया। नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा, एवं सदस्य सर्वश्री योगेश्वर राज सिंह, उदय मुदलियार एवं मोहम्मद अकबर ने इसका समर्थन किया। माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि आज की कार्यसूची में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा सम्मिलित है। चर्चा में समस्त सदस्य इन समस्त बातों को रख सकेंगे, उस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह ने आश्वस्त किया कि प्रतिवेदन की चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये समस्त बिंदुओं का उत्तर दिया जाएगा।

2. बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन द्वारा प्रदेश में बिजली समस्या पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2006-2007 के बजट के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 4-59/2005/ सात/2006, दिनांक 1 सितम्बर, 2006 द्वारा अधिसूचित पट्टा (रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित इकाई हेतु शासकीय भूमि) नियम, 2006, तथा

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004

पटल पर रखे।

4. अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए।

5. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

6. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा द्वारा, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधान सभा के जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से 8 विधेयकों पर एवं फरवरी-मार्च, 2006 सत्र में पारित शेष रहे 2 विधेयकों में से एक विधेयक पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनु मति प्राप्त होने की सूचना दी और विवरण पटल पर रखा गया।

7. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया।

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

2. श्री शिवप्रताप सिंह

3. श्री सत्यनारायण शर्मा

4. श्री अघन सिंह ठाकुर

5. श्री धर्मजीत सिंह

8. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने नियम 138(3) को शिथिल करके आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में सीमेंट की कीमत में वृद्धि होने की ओर राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश की जेलों में व्याप्त अव्यवस्था तथा आत्महत्या व हत्या की घटनाएं होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शासन के उत्तर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(3) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने प्रदेश में बिजली बिलिंग में व्याप्त अनियमितता की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया। चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्थिति स्पष्ट की।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(1.48 से 3.03 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

11. बहिष्कार

श्री भूपेश बघेल, सदस्य, के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव प्रदेश में व्याप्त विद्युत समस्या पर शासन द्वारा चर्चा न कराए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

के वार्षिक प्रतिवेदन पर की जाने वाली चर्चा का बहिष्कार किया गया।

राजस्व मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आसंदी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रतिपक्ष के मात्र 3 विधायक ही सदन में उपस्थित हो रहे हैं और अन्य सदस्य अकारण अनुपस्थित हैं इसके लिए उन्हें नसीहत दी जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि विधान सभा सदस्यों की सभा है और उन्हें कैसे इस सभा में अपनी उपस्थितित दर्ज करानी चाहिए। समस्त माननीय सदस्य स्वयं चूंकि समझदार और विवेकवान हैं, इसलिए उनके द्वारा अपने-अपने विवेक का ही उपयोग करना ज्यादा उचित है।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित याचिकायें माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी।

13. वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 22 नवम्बर, 2006 की तिथि निर्धारित की।

14. प्रतिवेदन पर चर्चा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र में हुई अपूर्ण चर्चा में पुनर्ग्रहण में श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री, श्री रमन सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

15. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पीलिया तथा डायरिया आदि बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति

चूंकि सदस्य सर्वश्री उदय मुदलियार, रविन्द्र चौबे अनुपस्थित थे। अतः उनके द्वारा चर्चा नहीं उठाए जाने के कारण उक्त विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03.41 बजे बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 (अग्रहायण 1, 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2006
(अग्रहायण 1, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 21 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 19 एवं 21 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए ।

प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. हरिदास भारद्वाज, चैतराम साहू, महंत रामसुंदर दास, डॉ.चेतन वर्मा, देवव्रत सिंह, सियाराम कौशिक, रविन्द्र चौबे, मोतीलाल देवांगन एवं त्रिलोचन पटेल (दो प्रश्नों में से एक प्रश्न में) अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में 18 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 12 की चर्चा में श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक से प्राप्त -

i. विनियोग लेखे वर्ष 2005-2006 (छत्तीसगढ़ सरकार) एवं

ii. वित्त लेखे वर्ष 2005-2006 (छत्तीसगढ़ सरकार),

(2) श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने परिसीमन अधिनियम 2002 (क्रमांक 33 सन् 2002) की धारा 10 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 282/छत्तीसगढ़/2006, दिनांक 2 जून, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के

Scanned with OKEN Scanner

परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 8 और 4 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए आदेश, तथा

(3) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, उत्तर, प्रबंध मंडल की टिप्पणी एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2003-2004

पटल पर रखे ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रदेश में 12 वीं एवं 13 वीं बटालियन भारत रक्षित वाहिनी के आरक्षकों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया एवं चर्चा में गृह मंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट की ।

5. बहिर्गमन

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैक, राजनांदगांव द्वारा कृषकों से अतिरिक्त ब्याज वसूले जाने,

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने जिला बिलासपुर तह. मुंगेली, ब्लाक पथरिया में प्रस्तावित आसवनी/ डिस्टिलरी स्थल चुनाव में पर्यावरण सरंक्षण नियमों का उल्लघंन किये जाने,

(3) श्री ओंकार शाह, सदस्य ने जिला रायपुर, तह. बिन्द्रावन वि.खं- देवभोग तेलनदी पर पुल बनाये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

Scanned with OKEN Scanner

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-03, प्रेमनगर के सदस्य, श्रीमती रेणुका सिंह की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है । उन्होंने दिनांक 20.11.2006 से दिनांक 25.11.2006 तक सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है ।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित याचिकायें माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) पर उन्होंने चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 2.00 घंटे का समय निर्धारित किया है ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

11. वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

Scanned with OKEN Scanner

श्री अमर अग्रवाल(वित्त मंत्री) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ सौ बावन करोड़, चौंवालीस लाख, पंद्रह हजार, सात सौ नवासी रूपए की अनुपूरक राशि दी जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार से विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि का उपयोग करने में राज्य सरकार विफल रही है तथा शासन ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के पूर्व राशि का ब्यौरा देकर, उस पर चर्चा नहीं कराई है, अतः उनका दल अनुपूरक मांगों पर चर्चा का बहिष्कार करता है ।

12. बहिष्कार

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा द्वितीय अनुपूरक मांगों पर चर्चा का बहिष्कार किया गया ।

13. वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, देवजी पटेल ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Scanned with OKEN Scanner

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2006 पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 4) विधेयक, 2006 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।
प्रस्ताव पर मत लिया गया ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

15. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु गेंहू व चना बीज तथा खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री उदय मुदलियार ने चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से मंत्री जी के उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 01.31 बजे गुरूवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2006 (अग्रहायण 2, 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

गुरूवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2006
(अग्रहायण 2, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 04, 05, 08, 11, 12, 14 एवं 18 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए ।

प्रश्न संख्या 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16 एवं 17 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, चन्द्रभान बारमते, रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, देवव्रत सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ.चेतन वर्मा, सियाराम कौशिक अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 18 की चर्चा में श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा की (3) की अपेक्षानुसार -

i. अधिसूचना क्रमांक/743/एफ-2(3) 48/सं.का./06 दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 तथा

ii. अधिसूचना क्रमांक 300 फा. 2(1) 05/ 48/सं.का., दिनांक 21 मार्च, 2006

पटल पर रखे ।

Scanned with OKEN Scanner

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - कार्यसूची में 08 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है । नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाऐं ली जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । शेष सूचनाओं पर माननीय मंत्री के लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी ।

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने दुर्ग जिले के राईस मिलरों द्वारा मंडी शुल्क व विक्रय कर की चोरी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में पेयजल आवर्धन योजना के अंतर्गत पाईप लाइन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित किया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण क्रमांक 4 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

7. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष क्र. ए-4 में तथा पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज की व्यवस्था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा की गई है । माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों से अनुरोध है कि वे भोजन ग्रहण करें ।

(1.36 से 2.18 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब वे कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (8) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

(5) श्री उदय मुदलियार

(6) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, महेन्द्र कर्मा

(7) श्री नंदकुमार पटेल (अनुपस्थित)

(8) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री धर्मजीत सिंह

(2) श्री भूपेश बघेल

(3) श्री लच्छुराम कश्यप

(4) श्री नंदकुमार पटेल

(5) डॉ.बालमुकुंद देवांगन

(6) श्री देवजी भाई पटेल

Scanned with OKEN Scanner

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-43, मंदिर हसौद के सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है । उन्होंने नवम्बर-दिसम्बर, 2006 सत्र तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है ।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्री संजीव शाह, सभापति ने सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का तृतीय प्रतिवेदन,

(2) श्री संजय ढीढी, सभापति ने याचिका समिति का पंचम् एवं षष्ठम् प्रतिवेदन, एवं

(3) श्री देवजी पटेल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय प्रतिवेदन

प्रस्तुत किये ।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-5 में सम्मिलित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी जाएंगी -

(1) श्री चंदुलाल साहू

(2) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, तथा

(3) श्री बैदूराम कश्यप

13. वक्तव्य

(1) श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री लोक निर्माण ने दिनांक 20 फरवरी, 2006 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 609),

(2) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 2 मार्च, 2006 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 177) के उत्तर में संशोधन के संबंध में, एवं

(3) श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने दिनांक 2 अगस्त, 2006 को ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 300/302 पर चर्चा के दौरान सदन में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में वक्तव्य दिये ।

Scanned with OKEN Scanner

14. प्रतिवेदन की प्रस्तुति में समयवृद्धि का प्रस्ताव

(1) रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच समिति

श्री देवजी पटेल, सभापति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि :-

रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) विशेषाधिकार समिति

श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 228 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया कि :-

विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006 सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री भूपेश बघेल एवं महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने विचार व्यक्त किए ।

Scanned with OKEN Scanner

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व 4 इस विधेयक के अंग बने ।

श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड 5 में इस प्रकार संशोधन किया जाये -

(1) *विधेयक के खंड-5 के उपखंड (दो) के मद 19 में शब्द* ***सदस्य सचिव*** *को विलोपित किया जाए,* तथा

(2) *मद 19 क्रमांक-47 से 58 को विलोपित किया जाए*

तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

सर्वश्री भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, उदय मुदलियार, सदस्य ने संशोधन का समर्थन किया ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 5 व 6 विधेयक का अंग बने ।

श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य प्रस्ताव किया कि - खंड 1 में इस प्रकार संशोधन किया जाए -

विधेयक के खंड-1 के उपखंड (दो) में शब्द एवं अंक ***1 नवम्बर, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त*** *हुआ, के स्थान पर शब्द* ***राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा*** *किया जाए*

तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

सर्वश्री भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, उदय मुदलियार, सदस्य ने संशोधन का समर्थन किया ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 1 तथा पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 35 व विपक्ष में 4 मत प्राप्त हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

Scanned with OKEN Scanner

16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी चर्चा पर आगामी सत्र में विचार किया जायेगा ।

17. नियम 239 के अन्तर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री मोहम्मद अकबर द्वारा माननीय गृह मंत्री, श्री रामविचार नेताम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है ।

18. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधान सभा का दशम् सत्र जो शीतकालीन सत्र भी था, आज उसका अंतिम दिवस है । इस सत्र में महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों के सम्पादन में सहयोग देने के लिए मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

आप अवगत हैं कि यह सत्र 20 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2006 तक के लिए आहूत था जिसमें कुल 10 बैठकें प्रस्तावित थीं, परन्तु परिस्थितिजन्य कारणों से और सदन की सहमति से मैंने सत्र अवधि को संशोधित करते हुए इस शीतकालीन सत्र को केवल 4 दिवसों का रखने का निर्णय लिया ।

प्रथमत: माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा जी एवं सदन के उप नेता माननीय भूपेश बघेल जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया, अपितु लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित व जागृत रखने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया ।

इस सत्र में हमारे बीच इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य स्वर्गीय पंडित राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, जो इस सभा के अध्यक्ष भी रहे, की कमी भी हमें खलती रही । इस सदन से उनका विछोह निश्चित तौर पर पीड़ादायक रहा । पंडित राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल संसदीय संस्कृति के न केवल हिमायती अपितु वे इसके संवाहक एवं उत्प्रेरक भी रहे। सभा में उत्कृष्ट संसदीय परम्पराओं को स्थापित करने का हम सबका प्रयास उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी संसदीय सदन की गरिमा उस सदन के सदस्यों के कार्य, व्यवहार और विचार पर निहित है, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे संसदीय संस्कृति को शाश्वत् रखते हुए अपनी जनसेवक की भूमिका का निर्वाह करें ।

Scanned with OKEN Scanner

जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं और संसदीय सदन उनकी साधना-स्थली होती है, जिसमें वह लोक कल्याण और लोक महत्व के मंत्रों को आत्मसात कर सेवा, समर्पण का भाव जन-जन तक संचारित करने का प्रयास करते हैं । इस सदन के सम्मान और महत्व को संवर्धित करने के लिए हम सबके समन्वित प्रयास की निरंतर आवश्यकता है । इस बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधान सभा के अपनी संक्षिप्त संसदीय यात्रा के कदम उल्लेखनीय रहे हैं, इस हेतु मैं सभा के समस्त सदस्यों विशेषकर सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूं । यह अवश्य है कि इस सत्र मे संसदीय कार्यों का सम्पादन पूर्व योजना अनुसार नहीं हो सका, परन्तु ऐसे अवसर भी यदा-कदा आते हैं, जब परिस्थितियों के अनुरूप हमें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है ।

इस लघु सत्र में सदन से सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र के कुल 4 कार्य दिवसों में कुल 9 घण्टे 16 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में कुल 1022 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 339 रहे, इनमें से 23 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषय विभिन्न माध्यमों से सदन में उठाए गए । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से एक सूचना पर चर्चा हुई । इस सत्र में 18 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

इस सत्र में स्थगन के प्रस्ताव की कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 10 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित की गई तथा 10 अग्राह्य रहीं, इस सत्र में शून्यकाल की 18 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 14 सूचनायें ग्राह्य व 4 सूचनाएं अग्राह्य रहीं ।

द्वितीय विधान सभा के इस दशम् सत्र में कुल 226 ध्यानाकर्षण की सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 35 सूचनायें ग्राह्य व 173 सूचनायें अग्राह्य रहीं । इस सत्र में कुल 3 विधेयक लाये गये और 3 विधेयक पारित हुये । इस सत्र में ही कुल दो प्रतिवेदन पटल पर रखे गये, वहीं 39 याचिकायें भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों का पुर:स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ । विशेषाधिकार भंग का एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं पुनश्चः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

यह अवसर है जब हम इस वर्ष में अपनी उपलब्धियों के साथ अपनी चूक पर दृष्टिपात करें और आने वाला नया वर्ष हम सबके लिये उपलब्धिपूर्ण हो ऐसा प्रयास करें । मैं इस अवसर पर आप सबको आने वाले नये वर्ष की बधाई देता हूं ।

आप सबको यह विदित ही होगा कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 को इस विधान सभा की स्थापना को 6 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं । नव गठित राज्य की प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक दिनांक 14 दिसंबर, 2000 को हुई थी । इस यादगार अवसर पर भी आप सबको बधाई ।

अंत में आप सभी माननीय सदस्यों का मुझे जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

Scanned with OKEN Scanner

यह वर्ष 2006 का अंतिम सत्र है, अब हम फिर वर्ष 2007 में बजट सत्र में मिलेंगे । आगामी बजट सत्र फरवरी माह के तीसरे-चौथे सप्ताह से आरंभ होकर अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह की अवधि में होना सम्भावित है।

इस अवसर पर मैं पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को जन-जन तक पहुँचाया। मैं दूरदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही के प्रश्नकाल का प्रसारण कर इस सदन की दीर्घाओं के विस्तार में अपनी भूमिका निबाही ।

सत्र के सफलतापूर्वक समापन के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा ।

अंत में मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की भी प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने न केवल सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया वरन् इस सचिवालय की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में भी अपने कार्यों से अभिवृद्धि की ।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

19. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 3.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।